

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, नैनीताल वन प्रभाग, नैनीताल ।

पत्रांक 914 / 13- दिनांक नवंबर

01-10-2015 ।

सेवा में,

वन संरक्षक,
दक्षिणी कुमाऊँ वृत्त, नैनीताल ।

विषय:- जनपद नैनीताल में क्वारब-मोना-सरगाखेत मोटर मार्ग निर्माण प्रस्ताव संख्या (FP/UK/Road / 14474/2015)

संदर्भ:- आपका पत्रांक 2/13-1, दिनांक 08.09.2015 का ऑन लाईन ई0डी0एस0 ।

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्र के क्रम में विषयगत क्वारब-मोना-सरगाखेत मोटर मार्ग निर्माण प्रस्ताव संख्या (FP/UK/Road / 14474/2015) के आपत्तियों का निराकरण बिन्दुवार निम्न प्रकार किया गया है-

1. फार्म A पार्ट II के बिन्दु नं0 5 में Working plan prescription for the forest land proposed for diversion : chir circle प्रविष्टि कर दी गई हैं । फार्म A पार्ट II के बिन्दु नं0 7 में Approximate distance of the proposed site for diversion from boundary of forest(in km.) : 0 Km प्रस्तावित क्षेत्र आरक्षित वन क्षेत्र के अन्तर्गत प्रभावित होता हैं जिस कारण शून्य किमी0 प्रविष्टि की गई हैं । फार्म A पार्ट II के बिन्दु नं0 12 के क्रम में अवगत कराना है कि Processing Form(Part-II) (To be filled by the concerned Deputy Conservator of Forests) के बिन्दु संख्या 8 में Detail of violation (s),if any, committed: में सूचना No प्रविष्टि की गयी है किन्तु पार्ट नं0 2 के बिन्दु संख्या 12 में प्रविष्टि नहीं की जा सकती क्योंकि बिन्दु संख्या 12 का उल्लेख Processing Form(Part-II) (To be filled by the concerned Deputy Conservator of Forests) में नहीं है। फार्म A पार्ट II के बिन्दु संख्या 12 में Whether work in violation is still in progres(Yes/No) : No सूचना समझी जाए। फार्म A पार्ट II के बिन्दु संख्या 13 में प्रस्तावित मार्ग 1 है0 से कम होने के कारण क्षतिपूरक वृक्षारोपण आवश्यक नहीं है अतः वांछित सूचना रिक्त समझी जाए, जो पार्ट नं0 2 के बिन्दु संख्या 13 में No Data का उल्लेख किया गया है।
2. प्रस्तावित मार्ग में पूर्वी प्यूडा बी कक्ष संख्या 5 की 1275 मीटर लम्बाई तथा 7 मीटर चौड़ाई जिसका क्षेत्रफल 0.8925 है0 आरक्षित वन भूमि प्रभावित होती हैं ।
3. नैनीताल वन प्रभाग के अन्तर्गत वर्तमान समय तक क्षतिपूरक वृक्षारोपण आरक्षित वन भूमि ,वन पंचायत भूमि व सिविल एंव सोयम भूमि में की गयी है। (उक्त वन पंचायत तथा सिविल एंव सोयम भूमि वन भूमि में परिभाषित है।) जिसकी पृविष्टि प्रपत्र 2 के बिन्दु संख्या 14 में की गई हैं। इस वन प्रभाग द्वारा वर्तमान तक गैर वन भूमि में क्षतिपूरक वृक्षारोपण नहीं किया गया है। जिस कारण प्रपत्र 2 के बिन्दु संख्या 14 में गैर वन भूमि में क्षतिपूरक वृक्षारोपण की स्थिति शून्य दर्शाई गई हैं ।

4- SIR पुनः संशोधित कर ऑन लाईन की जा चुकी हैं ।

भवदीया
प्रभागीय वनाधिकारी
नैनीताल वन प्रभाग, नैनीताल ।